राजस्थान सरकार
विद्युत निरीक्षणालय
जयपुर–302006

वार्षिक प्रतिवेदन
2021–22
(दिसम्बर 2021 तक)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	पेज नं0
1	परिचय, संगठन एवं संरचना	1 से 2
2	महत्वपूर्ण कार्य	3 एवं 4
3	कार्यप्रणाली में सुधार एवं विभाग की उपलब्धियां एवं राजस्व प्राप्तियां	5
4	व्यय एवं सामयिक निरीक्षण	6
5	दुर्घटना की जांच एवं सिनेमा निरीक्षण	7
6	अनुज्ञा पत्र एवं लाईसेंस परमिट	8
7	विभागीय मानचित्र	9

राजस्थान सरकार

विद्युत निरीक्षणालय, जयपुर 302006

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2021—2022
(दिसम्बर 2021 तक)

1. परिचय :—

विद्युत निरीक्षणालय राजस्थान सरकार के ऊर्जा विभाग के अधीन एक पृथक विभाग है। विद्युत के त्रुटि पूर्ण संस्थापन एवं असावधानी पूर्वक उपयोग—उपभोग से विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण इकाईयों, ओद्योगिक, गैर ओद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में तथा घरेलू एवं सार्वजनिक स्थानों पर भीषण दुर्घटनाओं, जनहानि तथा राष्ट्रीय व व्यक्तिगत सम्पति को विद्युत जनीत आग से नुकसान होने की प्रबल सम्भावनाऐं रहती है, अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर विद्युत अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों का सृजन किया गया है जिनकी पालना सुनिश्चित कराना प्रत्येक राज्य के विद्युत निरीक्षणालय का है। इसी वैधानिक अनिवार्यता के अधीन राजस्थान राज्य में विद्युत निरीक्षणालय का गठन किया गया है। भारतीय विद्युत नियम 1956 को अतिष्ठित करते हुये केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण रेग्यूलेशन्स 2010 तथा 2011 अस्तित्व में आ चुके है।

2. संगठन एवं संरचना :—

2.1 विद्युत निरीक्षणालय का विभागाध्यक्ष ''वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक'' है जिसके अधीन कुल तीन विद्युत निरीक्षकों के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर, जोधपुर व कोटा में है जिनका प्रशासनिक नियंत्रण वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक के अधीन है। विद्युत संस्थापनों के समायिक निरीक्षण, जाँच, स्वीकृति तथा घातक व अघातक विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच इत्यादि के शीघ्र व समुचित सम्पादन हेतु विभाग में सहायक विद्युत निरीक्षक के कुल 14 पद स्वीकृत है ये पद सहायक विद्युत निरीक्षक(मुख्यालय), जयपुर शहर, जयपुर डिवीजन, भरतपुर, अलवर, बहरोंड़, अजमेंर, भीलवाड़ा, राजसमन्द, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, व बीकानेर में है। सहायक विद्युत निरीक्षक कार्यालयों के अधीन कनिष्ठ विद्युत निरीक्षकों के कुल 46 पद स्वीकृत है।

2.2 विद्युत निरीक्षणालय में मुख्यालय एवं अधिनस्थ कार्यालयों में सभी संवर्ग के कुल 181 पद सृजित हैं जिसकी कार्यालयवार सूची परिशिष्ठ–1 पर है। प्रधान कार्यालय में–विभागाध्यक्ष वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक के अधीन 1 पद सहायक विद्युत निरीक्षक, 1 पद सहायक लेखाधिकारी प्रथम 1 पद सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, 2 पद कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक, 1 पद प्रशासनिक अधिकारी, 2 पद अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, 4 पद सहायक पशासनिक अधिकारी, 1 पद कनिष्ठ लेखाकार, 5 पद वरिष्ठ सहायक, 1 पद निजी सहायक, 1 प्रयोगशाला सहायक, 1 पद सूचना सहायक, 4 पद कनिष्ठ सहायक, 2 पद हैल्पर, 5 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सृजित है। विभाग में अभी मुख्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में अधिकारी/कर्मचारी के निम्न प्रकार से पद स्वीकृत/कार्यरत एवं रिक्त है :–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक **(विभागाध्यक्ष)**	1	1	—
2	विद्युत निरीक्षक	3	2	1
3	सहायक विद्युत निरीक्षक	14	9	5 (2 कार्मिक विपरीत प्रतिनिुयक्ति पर एवं 1 कार्मिक सेवानिवृति उपरान्त कार्यरत है।
4	कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक	46	8	38(1 कार्मिक विपरीत प्रतिनिुयक्ति पर कार्यरत है।
5	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	1	1	—
6	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	2	2	0
7	कनिष्ठ लेखाकार	2	2	—
8	प्रशासनिक अधिकारी	1	—	1
9	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	2	2	0
10	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	9	5	4
11	सूचना सहायक	3	0	3
12	वरिष्ठ सहायक	18	14	4
13	कनिष्ठ सहायक	26	18	8
14	हैल्पर	27	2	25
15	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	25	15	10
	योग	**182**	**81**	**99**

नोटः– कम संख्या 3 पर अंकित सहायक विद्युत निरीक्षक के कार्यरत जो 9 पद दर्शाये गये है उनमें से 2 पदों के विरूद्व विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है एवं एक पद संविदा पर सेवानिवृत कार्मिक कार्यरत है। तथा कम संख्या 4 पर अंकित कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक में कार्यरत 8 जो दर्शाये गये है उनमें 1 रिक्त पद के विरूद्व विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है ।

विद्युत उपभोक्ताओं की बहुत अधिक बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों में वद्धि करना अत्यन्त आवश्यक है।

2.3 विभाग के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ व प्रभावशाली बनाने के लिए सभी 13 उप क्षेत्रीय कार्यालयों को जयपुर, जोधपुर व कोटा स्थित विद्युत निरीक्षक कार्यालयों के नियंत्रण में रखा गया है सभी विद्युत निरीक्षक अपने क्षैत्राधीन कार्यो के सम्पादन, नियंत्रण व कियान्वयन (निरीक्षण एवं जाँच) सम्बन्धी अधिकार एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु प्राधिकृत होकर रिपोर्ट विभागाध्यक्ष को प्रेषित करते है। सामयिक निरीक्षण, जाँच इत्यादि हेतु विभागीय स्तर पर कार्यों एवं शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया है।

3. विद्युत निरीक्षणालय के महत्वपूर्ण कार्यः

राज्य सरकार द्वारा विद्युत निरीक्षणालय को निम्नलिखित विद्युत अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु दायित्व प्रदान किये गये है :–

(1) विद्युत अधिनियम 2003(पूर्व में भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910)

(2) राजस्थान सिनेमा (विनियम) 1952 एवं नियम 1959.

(3) कंडीशन एण्ड रूलस फॉर ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेटस ऑफ कम्पीटेन्सी टू इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर एण्ड वायरमैन एण्ड लाईसेंसेज टू इलेक्ट्रीकल कस्ट्रेक्टर्स इन द स्टेट ऑफ राजस्थान।

(4) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(विद्युत संयत्रों व लाईसेंस के तकनीकी मानक) रेगुलेशन्स, 2010.

(5) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(सुरक्षा एवं विद्युत प्रदाय से सम्बन्धित उपाय) रेगुलेशन्स, 2010.

(6) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण(विद्युत संयत्रों एवं लाईन्स के निर्माण, संचालन एव रख रखाव के लिए वांछित सुरक्षा) रेगुलेशन्स, 2011.

(7) विद्युत घातक एवं अघातक दुर्घटनाओं की जाँच।

उक्त नियमों व अधिनियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विद्युत निरीक्षणालय विभाग के कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किये गये है। विभाग के महत्वपूर्ण कार्यो का विवरण है :–

3.1 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के विनियम 30 (पूर्व में भारतीय विद्युत नियम 1956 के नियम 46) की अनुपालना में औद्योगिक, वाज्यिक, सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायतशासी, सार्वजनिक एवं आवासीय परिसरों में स्थापित उच्च दवाब, अति उच्च दवाब के विद्युत संस्थापनों यथा ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, लाईन अन्य उपकरण का सामयिक निरीक्षण करने के लिए विद्युत निरीक्षणालय को अधिकृत किया गया है।

3.2 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के विनियम, 43 (पूर्व में भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 63) के अन्तर्गत औद्योगिक, वाज्यिक, सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायतशासी, सार्वजनिक, व्यक्तिगत एवं आवासीय क्षेत्र में स्थापित उच्च तथा अति उच्च दवाब के विद्युत संस्थापनों यथा ट्रासंर्फामरर्स, जनरेटर्स, लाईन्स व अन्य उपकरणों को प्रथम बार एनर्जाइज करने की एप्रुवल्स निरीक्षण उपरान्त जारी करने हेतु विद्युत निरीक्षणालय राज्य सरकार द्वारा अधिकृत है।

3.3 भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 180 (2) के नियम 3 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के विनियम (पूर्व में भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 44ए) व विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 161 के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, आपूर्ति व उपयोग के दौरान मानवीय घातक/अघातक व पशु दुर्घटनाओं की जाँच कर रिपोर्ट ऊर्जा विभाग को देने का दायित्व इस विभाग का है।

3.4 राजस्थान सिनेमा (विनियम) 1952 एंव नियम 1959 के नियम 10 (बी) व 77 अन्तर्गत सिनेमा संस्थापनों के वार्षिक निरीक्षण (विद्युत संस्थापनों की ड्राईंग व अग्निशमन उपकरणों सहित) कर जाँच रिपोर्ट जिला कलेक्टर को देने का दायित्व भी इस विभाग को है।

3.5 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के विनियम, 29 (पूर्व में भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 45) के अन्तर्गत तकनीकी समिति की अभिशंषा पर नियमानुसार विद्युत ठेकेदारों को अनुज्ञा पत्र, विद्युत सुपरवाइजर को सक्षमता प्रमाण पत्र, वायरमैन परमिट एंव विद्युत सुरक्षा चाटर्ड इंजीनियर परमिट जारी करने के लिए विभाग को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है।

3.6 (कंडीशन एण्ड रूल्स फॉर ग्रांट ऑफ कम्पीटेन्सी सर्टिफिकेट टू इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरर्स एवं वायरमैन एवं लाईसेंसेज टू इलेक्ट्रिकल कान्ट्रक्टर्स'' के नियम 4 व 5 के अनुसार विद्युत सुपरवाईजर एवं वायरमैन की परीक्षा लिखित एवं प्रायोगिक) आयोजित कर सफल अभ्यार्थियों को सक्षमता प्रमाण–पत्र व परमिट जारी करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है।

3.7 सिनेमा आपरेटर्स की 16 व 35 एम.एम. के लिए परीक्षा आयोजित करना एवं प्रायोगिक परीक्षा में सफल अभ्यार्थियों को प्रमाण–पत्र जारी करने का दायित्व इस विभाग का है।

4.

4 विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार, प्रक्रिया के सरलीकरण व समस्याओं के समुचित व प्रभाव पूर्ण निराकरण हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये है :–

4.1 सचिव, ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो कि विभाग की कार्य प्रणाली, व्यवस्था, कार्य व सगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करेगी।

4.2 नये कनिष्ठ विद्युत निरीक्षकों के पदो की भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार मे विचाराधीन है।

4.3 यद्यपि स्टाफ की भारी कमी के रहते राजस्व वृद्धि हेतु हर सम्भव प्रयास किये जा रहे है विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष राजस्व आय में आशातित वृद्धि हुई है।

4.4 विभाग के प्रमुख कर्तव्यों के प्रभाव पूर्ण निष्पादन हेतु शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हेतु प्रस्ताव ऊर्जा विभाग में भिजवा दिया गया है।

4.5 विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच व शीघ्र निष्पादन के लिए जाँच हेतु 'चैक लिस्ट' व दिशा निर्देश जारी किये गये है।

5. विभाग की उपलब्धियाँ

5.1 विभाग में उपभोक्ताओं के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रकिया ˆपदहसम ˘पदकवू बसमंतपदह ˋलेजमउ ˜;ब्द्ध लागू किया गया है :–

(प) औद्योगिक प्रतिष्ठानों में :– केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम 2010 के विनियम, 43 के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्वीकृतियां जारी करने की प्रकिया ऑनलाईन की गई है।

(पप) परमिट टू वर्क राज सुपरवाईजर, परमिट टू वर्क एज वायरमेन एवं विद्युत ठेकेदारी लाईसेंस ऑनलाईन प्रकिया करने की प्रकिया शुरू कर दी गई है।

5.2 **राजस्व प्राप्तियाँ :** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के विनियम, 30 (पूर्व में भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 46) के अन्तर्गत सामयिक निरीक्षण शुल्क, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के विनियम, 43 (पूर्व में भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 63) के अन्तर्गत विभिन्न एप्रुवल्स जारी करने से तथा सामयिक निरीक्षण शुल्क से अन्य मदों से प्राप्त विद्युत कर एवं शुल्क के रूप में विगत तीन वर्षा की राजस्व आय का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	लक्ष्य	आय प्राप्ति (लाख रू. में)
2018–19	1500.00	1738.39
2019–20	744.00	901.21
2020–21	341.00	869.53
2021–21 (31.12.2021)	1253.00	1193.39

5.3 **व्यय :** विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर विगत तीन वर्षो में हुए संस्थागत व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	व्यय (लाख रू. में)
2018–19	678.06
2019–20	615.62
2020–21	625.15
2021–22 (31.12.2021) तक	475.96

5.4 **सामयिक निरीक्षण** : विद्युत निरीक्षणालय में उपलब्ध स्टॉफ व संसाधनों से विगत वर्षो में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के विनियम, 30 (पूर्व में भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 46) के निर्देशानुसार, सम्पादित निरीक्षणों का विवरण निम्नानुसार है

वर्ष	कुल निरीक्षण
2018–19	1360
2019–20	1645
2020–21	1576
2021–22 (31.12.2021) तक	1351

5.5 नये ट्रांसफार्मस लाईनों व जनरेटरों की स्वीकृति : केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के विनियम, 43 (पूर्व में भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 63) के अन्तर्गत ट्रांसफार्मर संस्थापनों, उच्च दबाव वाली लाइनों व नियम 47 । के अन्तर्गत

विद्युत जनरेटर की विगत तीन वर्षो में विद्युत निरीक्षणालय द्वारा जारी स्वीकृतियों का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	ट्रांसफार्मर	विद्युत लाइन	डी.जी.सेट
2018–19	1138	53	310
2019–20	787	87	445
2020–21	718	48	390
2021–22 (31.12.2021) तक	540	37	139

5.6 **दुर्घटना की जाँच** : राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 23(3) म्दमतहल/2015 दिनांक 21.03.2016 (पूर्व में भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 44ए) व विद्युत अधिनियम की धारा 161 की पालना में मानवीय घातक/अघातक व पशु दुर्घटनाओं की जांच विद्युत निरीक्षणालय द्वारा की जाकर विस्तृत जांच रिपोर्ट ऊर्जा विभाग (राज्य सरकार) को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की जाती है।

विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच व उनके शीघ्र निष्पादन के लिए शासन सचिव महोदय के निर्देशों के अनुसार विभागस्तर पर गठित रिव्यू कमेटी द्वारा जाँच हेतु चैक लिस्ट व दिशा निर्देश विद्युत निरीक्षणालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को जारी किये गये है। कनिष्ठ विद्युत निरीक्षको व सहायक निरीक्षकों के अधिकांश पद रिक्त होने के कारण जाँच में अपेक्षित प्रगति प्राप्त नही हो रही है।

5.7 **सिनेमा निरीक्षण** : राजस्थान सिनेमा (विनियम) नियम 1959 के नियम 10 (बी) व 77 के अनुसार सिनेमा संस्थापनों के विद्युत निरीक्षणालय द्वारा सम्पादित वार्षिक निरीक्षण से सम्बन्धित विगत तीन वर्षो के आँकडे निम्नानुसार है :–

वर्ष	संतोषप्रद	दोषपूर्ण	योग
2018–19	56	31	87
2019–20	68	16	84
2020–21	43	0	43
2021–22 (31.12.2021) तक	35	0	35

निरीक्षण में दोषपूर्ण पाई गयी कमियों को दूर करने के पश्चात ही जाँच रिपोर्ट अग्रेषित की गयी है। उपहार सिनेमा दुर्घटना के मध्य नजर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुरूप सिनेमा घरों की जांच करने हेतु निरीक्षणालय द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है।

5.8 **अनुज्ञा पत्र, लाइसेन्स व परमिट :– (ऑन लाईन प्रकिया की सुविधा उपलब्ध है)** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के विनियम, 29 (पूर्व में भारतीय विद्युत नियम, 1956 के नियम 45) के अन्तर्गत विद्युत निरीक्षणालय को विद्युत ठेकेदारों को अनुज्ञा पत्र, विद्युत पर्यवेक्षको को सक्षमता–पत्र व वायर मैन परमिट व राजस्थान सिनेमा (विनियम) नियम 1959 के नियम 68 के अनुसार आपरेटर परमिट परमिट जारी करने व नवीनीकरण हेतु प्राधिकृत किया गया है। विभाग विगत वर्षों में जारी नये एवं नवीनीकृत दस्तावेजो की स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	विद्युत सुपरवाइजर		वायर मैन		विद्युत ठेकेदार		विद्युत सुरक्षा चार्टड इन्जीनीयर परमिट
	नये जारी	नवीनीकरण	नये जारी	नवीनीकरण	नये जारी	नवीनीकरण	–
2018–19	218	112	3170	38	486	287	05
2019–20	208	161	2805	162	515	287	14
2020–21	1412	113	1645	59	389	434	0
2021–22 (31.12.2021) तक	1053	95	1233	48	288	248	

वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक,
राजस्थान, जयपुर

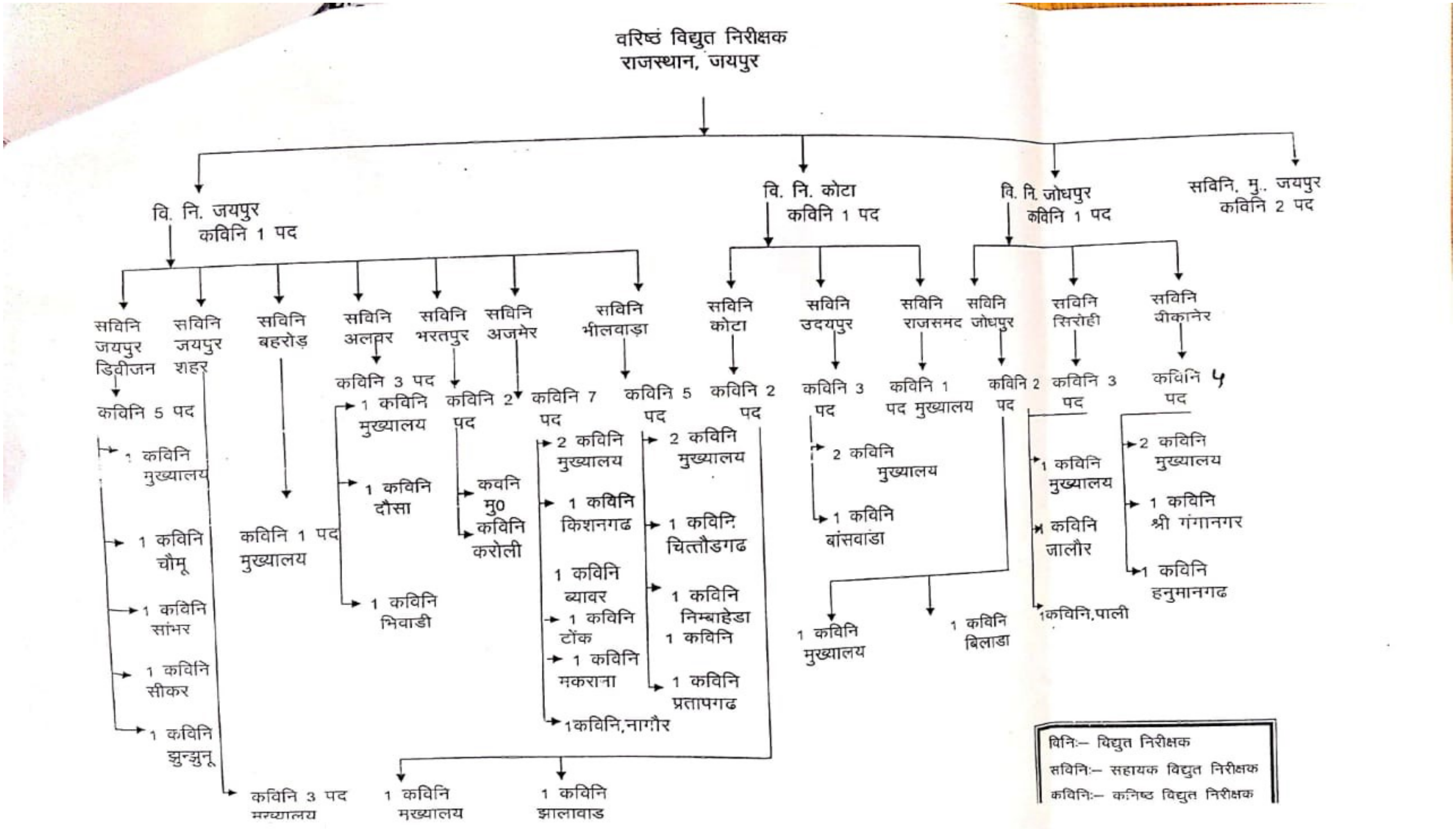
वरिष्ठं विद्युत निरीक्षक
राजस्थान, जयपुर
वि. नि. जयपुर
कविनि 1 पद
वि. नि. कोटा
कविनि 1 पद
वि. नि. जोधपुर
कविनि 1 पद
सविनि, मु.. जयपुर
कविनि 2 पद
सविनि
जयपुर
डिवीजन
कविनि 5 पद
1 कविनि
मुख्यालय
1 कविनि
चौमू
1 कविनि
सांभर
1 कविनि
सीकर
1 कविनि
झुन्झुनू
सविनि
जयपुर
शहर
कविनि 3 पद
मुख्यालय
सविनि
बहरोड़
कविनि 1 पद
मुख्यालय
सविनि
अलवर
कविनि 3 पद
1 कविनि
मुख्यालय
1 कविनि
दौसा
1 कविनि
भिवाडी
सविनि
भरतपुर
कविनि 2
पद
कवनि
मु0
कविनि
करोली
सविनि
अजमेर
कविनि 7
पद
2 कविनि
मुख्यालय
1 कविनि
किशनगढ
1 कविनि
ब्यावर
1 कविनि
टोंक
1 कविनि
मकराना
1कविनि,नागौर
सविनि
भीलवाड़ा
कविनि 5
पद
2 कविनि
मुख्यालय
1 कविनि
चित्तौडगढ
1 कविनि
निम्बाहेडा
1 कविनि
1 कविनि
प्रतापगढ
सविनि
कोटा
कविनि 2
पद
1 कविनि
मुख्यालय
1 कविनि
झालावाड
सविनि
उदयपुर
कविनि 3
पद
2 कविनि
मुख्यालय
1 कविनि
बांसवाडा
सविनि
राजसमद
कविनि 1
पद मुख्यालय
सविनि
जोधपुर
कविनि 2
पद
1 कविनि
मुख्यालय
1 कविनि
बिलाडा
सविनि
सिरोही
कविनि 3
पद
1 कविनि
मुख्यालय
1 कविनि
जालौर
1कविनि,पाली
सविनि
बीकानेर
कविनि 5
पद
2 कविनि
मुख्यालय
1 कविनि
श्री गंगानगर
1 कविनि
हनुमानगढ
विनि:– विद्युत निरीक्षक
सविनि:– सहायक विद्युत निरीक्षक
कविनि:– कनिष्ठ विद्युत निरीक्षक